न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 639 / 2025 वाद **दायर दिनांक 06.08.2025**

उनवान

1. हरलाल पिता गोपीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. भेरा पुत्र गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. लक्ष्मण पुत्र भैरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. शंकरलाल दत्तक पुत्र जयचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—वादीगण

1. नारायण पुत्र सोला जाति जाट आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. रतनलाल पुत्र सोला जाति जाट आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—प्रतिवादीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट —वादीगण

एकतरफा —प्रतिवादीगण

—ः वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट ः—

निर्णय दिनांकः 15.10.2025

—ःनिर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा उचनारखुर्द पटवार उचनारखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात स्थित है, जिसके आराजी नम्बर 840 रकबा 0.12 हैक्टर बारानी 1, आराजी नम्बर 843 रकबा 0.05 हैक्टर बारानी 1, आराजी नम्बर 844 रकबा 0.13 हैक्टर बारानी 1 कुल खसरे 3 कुल क्षेत्रफल 0.3000 हैक्टर स्थित है।

यह कि उक्त कॉलम संख्या एक में वर्णितानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है पक्षकारान का विवादित आराजीयात पर संयुक्त कब्जा होकर संयुक्त काश्त करते है तथा उपज का हिस्सा भी करना पडता है इसलिये पक्षकारान के बीच विवाद बना रहता है वादीगण विवादित आराजीयात को लागत लगाकर विकसित करना चाहते है लेकिन प्रतिवादीगण इसके लिये तैयार नहीं होते है इसलिये वादीगण विवादित आराजीयात का समुचित उपयोग नहीं कर सकते है इसलिये वादीगण विवादित आराजीयात का विभाजन / बंटवाडा करना चाहते है लेकिन वादीगण को प्रतिवादीगण समुचित जवाब नहीं देते है तथा इस साल भी दिनांक 30.08.2022 को आखिरकार विभाजन / बंटवाडा करने से मना कर दिया इसलिये विवादित आराजीयात का विभाजन / बंटवाडा करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वादकारण दिनांक 30.08.2022 से निरन्तर जारी है।

अन्त में वादीगण ने प्रार्थना की कि—

1. पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के विभाजन / बंटवाडा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि इस वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नम्बर 840 रकबा 0.12 हैक्टर बारानी 1, आराजी नम्बर 843 रकबा 0.05 हैक्टर बारानी 1, आराजी नम्बर 844 रकबा 0.13 हैक्टर बारानी 1 कुल खसरे 3 कुल क्षेत्रफल 0.3000 हैक्टर का विभाजन कराया जाकर वादीगण का उक्त चालु जमाबन्दी में प्रत्येक के नाम उनका हिस्सा की अलग अलग खातेदारी में अंकन कराया जाकर अलग अलग जमाबन्दी बनाई जावें तथा प्रत्येक प्रतिवादीगण को जो हिस्सा विभाजन में प्राप्त होता है उनको अलग अलग कब्जा दिलाने की कृपा करावें।
2. अन्य दाद मुफिद वादीगण के हो प्रतिवादीगण से दिलाई जावें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), कपासन

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से पूर्व में दिनांक 20.12.2023 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्यवादी में वादी शंकरलाल दत्तक पुत्र जयचन्द जाति जाट तथा भैरा पिता गणेश जाति जाट निवासी उचनारखुर्द का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। शपथग्रहिता वादी ने वाद पत्र के समर्थन एवं पुष्टि में जमाबन्दी की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 है।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 19.06.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 30.04.2025 से प्रस्तुत की गई। बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की व अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वादीगण अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 15.10.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा उचनारखुर्द पटवार उचनारखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात स्थित है, जिसके आराजी नम्बर 840 रकबा 0.12 हैक्टर बारानी 1, आराजी नम्बर 843 रकबा 0.05 हैक्टर बारानी 1, आराजी नम्बर 844 रकबा 0.13 हैक्टर बारानी 1 कुल खसरे 3 कुल क्षेत्रफल 0.3000 हैक्टर स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 30.04.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. नारायण पुत्र सोला हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन हिस्सा 1/2 पूर्ण खाता चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा कपासन, रतनलाल पुत्र सोला हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन हिस्सा 1/2 पूर्ण खाता बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हथियाना

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	843	0.05	बारानी 1
2	844/3	0.05	बारानी 1
योग	कुल किता–02	0.10	

2. शंकर पुत्र जयचन्द हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	844/2	0.05	बारानी 1
योग	कुल किता–01	0.05	

3. हरलाल पुत्र गोपीलाल हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	840/2	0.02	बारानी 1
2	844/1	0.03	बारानी 1
योग	कुल किता–02	0.05	

4. भैरा पुत्र गणेश हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन हिस्सा 1/2 पूर्ण खाता रतनाकर बैंक लिमिटेड शाखा चित्तौड़गढ़, लक्ष्मण पुत्र भेरा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	840/1	0.10	बारानी 1
योग	कुल किता–01	0.10	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन